एक नजर में

कलश यात्रा के साथ तीन दिसवीय नानीबाई रो मायरा शुरू, बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु

बडवाह, निप्र। जाट मोहल्ले में तीन दिवसीय 'नानी बाई का मायरा' का कलश यात्रा के साथ शुरुआत हुई। यात्रा में सबसे आगे कन्याए गरबा करते हुए चल रही थी। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाए। सुबह 09 बजे सत्ती घाटा स्थित राधाकृषण मंदिर से शोभायात्रा निकली। गाजे-बाजे के साथ निकली गई कलश यात्रा का जगह-जगह पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया7यात्रा में गोपाल मंदिर के महंत एवं कथावाचक हनुमान दास जी बग्गी में विराजित थ। शौभायात्रा राधाकृष्ण मंदिर से मुख्य चौराहा,इंदौर रोड होते हुए कथा स्थल पहुंची। यह आयोजन संयुक्त जाट समाज के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा ह। मुख्य आयोजक लाला जाट ने बताया की भीषण गर्मी के कारण तीन दिसवीय मायरे का समय शाम 8 बजे से 11 बजे तक किया जा रहा ह। उन्होंने समस्त नगरवासियों से भव्य नानी बाई मायरे में शामिल होने का आग्रह किया है। शाम को कथावाचक महंत हनुमान दास जी महाराज नानी बाई के मायरे से जुड़ी भक्ति, त्याग, सेवा और धर्म के प्रेरणादायक प्रसंगों का वर्णन करेंगे।

वालन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन ने किया स्वच्छता दिवस पर विशेष आयोजन

सनावद, निप्र। मध्य प्रदेश वालन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन खरगोन के द्वारा विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस ' ' पर आयोजन किया गया । जिसमें ह्ररुष्ट (पोषण पुनर्वास केंद्र सनावद) श्रीमती वर्षा राठौर मेम, शासकीय महाविद्यालय सनावद से प्रोफेसर श्रवण कोहरे कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी श्रीमती रश्मि पाटीदार मैडम,कार्यकर्ता/सहायिका , किशोरी बालिकाएं एवं महिलाएं वा अन्य सदस्य उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम की रूपरेखा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा किया गया। और ' 'जितेन्द्र पटेल परामर्शदाता उमंग स्वास्थ केंद्र सनावद के द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें सभी उपस्थित सदस्यों के साथ राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए माहवारी क्या है? माहवारी चक्र, माहवारी स्वच्छता पर तथा माहवारी से जुड़ी हुई भ्रांतियों पर विस्तृत चर्चा की गई । साथ ही कॉलेज में रैली , कार्ड शीट ,आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी किशोरी बालिकाओं/महिलाओं से माहवारी के दौरान सेनेटरी पैड का उपयोग,इसके निस्तांतरण एवं माहवारी से संबंधित आने वाली समस्याओं पर ' ' उमंग स्वास्थ केंद्र सनावद ' ' आने के लिए प्रेरित किया गया ।साथ ही उपस्थित किशोर /पुरुषों को भी माहवारी से संबंधित जागरूक किया गया। ताकि पुरुष भी एक अवेयरनेस का हिस्सा रहे। माहवारी अभिशाप नहीं,यह तो प्रकृति का बरदार है। इन्हीं नारों के साथ उपस्थिति सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया।

जैन साधु-संतों की सुरक्षा को लेकर सकल जैन समाज ने सौंपा ज्ञापन, निकाली मौन रैली

कसरावद, निप्र। सकल जैन समाज के तत्वावधान में रीवा सड़क दुर्घटना में हुई आर्यिका माताजी की दुखद मृत्यु के विरोध में और जैन साधु-संतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। इसके पहले समाजजन मौन रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुँचे। ज्ञापन का वाचन दिगम्बर जैन समाज अध्यक्ष अविनाश जैन ने किया। ज्ञापन में बताया गया कि जैन मुनि एवं आर्यिकाएँ पैदल भ्रमण कर पूरे देश में धर्म प्रचार करते हैं। रीवा में पूज्य आर्यिका माताजी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु ने सम्पूर्ण जैन समाज को अत्यंत व्यथित और चिंतित कर दिया है। साथ ही ज्ञापन में विगत वर्षों में साधु-संतों के साथ हुई असुरक्षा, दुर्व्यवहार, दुर्घटनाओं और आपराधिक घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। जैन समाज का कहना है कि साधु-संतों की सुरक्षा शासन-प्रशासन की जिम्मेदारी है।

ज्ञापन में प्रमुख मांगें :- राष्ट्रीय संत सुरक्षा अभियान के तहत साधु-संतों के विहार मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस संरक्षण और आवश्यक सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए जाएँ। साधु-संतों के विरुद्ध होने वाली घटनाओं के लिए त्वरित शिकायत एवं कार्यवाही हेतु विशेष हेल्पलाइन प्रारंभ की जाए। राज्य एवं जिला स्तर पर 'संत सुरक्षा प्रकोष्ठ' का गठन किया जाए। साधु-संतों के विहार मार्गों पर यातायात नियंत्रण एवं सुरक्षा संबंधी निर्देश प्रशासन द्वारा जारी किए जाएँ। जैन तीर्थ क्षेत्रों एवं धर्मस्थलों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। रीवा दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु ठोस सुरक्षा नीति बनाई जाए। इस अवसर पर दिगम्बर जैन समाज के बालसमुद, खामखेडा, बामदी, लोहारी, साटकूर, बरसलाय के समाजजन, भारतीय जैन संगठन के अध्यक्ष सचिन जैन, सचिव संजय जैन, दिवाकर विचार मंच महिला शाखा की प्रदेश उपाध्यक्ष नमिता लुनिया, जैन श्वेतांबर श्रीसंघ अध्यक्ष तिलोकचंद कवाड़, अंतर्राष्ट्रीय पौडवाड सामाजिक मंच अध्यक्ष नगीन धनोंते सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे।

मासिक धर्म में संक्रमण से बचाव के बताए उपाय

खरगोन, निप्र। खुशहाली सेवा संस्थान द्वारा मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर शहर में बस्ती की महिलाओं एवं किशोरियों के लिए मिथक तोड़ोजागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मासिक धर्म से जुड़े सामाजिक मिथकों, शर्म एवं संकोच को दूर कर महिलाओं और किशोरियों को वैज्ञानिक, स्वास्थ्यवर्धक एवं स्वच्छता संबंधी सही जानकारी प्रदान करना था। कार्यशाला में आशीर्वाद जैन एवं सोहेल जैन ने विशेष सहभागिता की गई। महिलाओं एवं बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, संतुलित पोषण, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। संस्थान की संस्थापक डॉ .श्वेता चौधरी ने बताया कि प्रतिवर्ष 29 मई को मनाए जाने वाले मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना एवं समाज में फैली भ्रांतियों एवं झिझक को समाप्त करना है। संचालन संस्था की शालिनी गांवशिंदे ने किया। भावना सोनी, प्रीति चावला, शालिनी गांवशिंदे एवं रमाकांत पटेल का विशेष योगदान रहा। अंशुल भालसे, प्रो . भाग्यश्री पाठक एवं संदीप रावल ने आभार माना।

प्रशासन की आंखों में धूल झोंक हो रहे नलकूप खनन!

कलेक्टर का आदेश बेअसर? प्रतिबंध के बाद भी खुलेआम खोदे जा रहे बोरिंग

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र। जिले में ग्रीष्मकाल व जल संकट की संभावना और गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा बिना अनुमति नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। आरोप है कि प्रशासनिक आदेशों को धता बताते हुए कुछ कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से नलकूप खनन जारी है।

चमेली की बाड़ी में सामने आया मामला, बिना अनुमति किया गया खनन :- ताजा मामला चमेली की बाड़ी क्षेत्र का है, जहां 27 मई को चंद्रकांता पति विट्ठलदास महाजन के आवासीय भूखंड पर कथित रूप से बिना वैध अनुमति के नलकूप खनन कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब बोर मशीन संचालक से अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो वह संतोषजनक जवाब देने के बजाय मौके से निकल गया।

अनुमति पत्र में तारीख बदलने का आरोप, बढ़ा विवाद :- भूमि स्वामी द्वारा दिखाई गई अनुमति की छायाप्रति में जारी दिनांक 07/04/2026 को बदलकर 07/05/2026 किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। यदि संशोधित दिनांक को भी सही मान लिया जाए, तब भी नियमों के अनुसार 15 दिन की समय सीमा में खनन नहीं होने से अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाती है।

'हां, हमने तारीख बदली है' — बाबू के कथित बयान से मचा हड़कंप :- शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे लोगों का दावा है कि संबंधित बाबू से पूछताछ करने पर उन्होंने कथित तौर पर स्वीकार किया कि तारीख उन्होंने ही बदली है। हालांकि तारीख बदलने का कारण पूछने पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका।

आखिर किसके संरक्षण में हो रहा नलकूप खनन?

जब नियम साफ हैं, प्रतिबंध लागू है और अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है, तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसके संरक्षण में यह नलकूप खनन हुआ। अब निगाहें प्रशासन पर हैं—सूत्रों की माने तो सारा मामला साहब की जानकारी में भी है तो क्या बिना वैध अनुमति हुए खनन पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी 'कूप की गहराई' में दबकर रह जाएगा।

15 जुलाई तक पूर्ण प्रतिबंध, फिर कैसे चल रहे बोर?:- जिला प्रशासन के आदेश अनुसार 15 जुलाई 2026 तक बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नलकूप खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। केवल शासकीय पेयजल व्यवस्था के लिए सीमित छूट दी गई है, जबकि अन्य सभी मामलों में अनुविभागीय अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।

नियम साफ: 15 दिन में खनन नहीं तो अनुमति स्वत : समाप्त:- अनुमति की शर्तों में स्पष्ट उल्लेख है कि 15 दिवस के भीतर नलकूप खनन नहीं होने पर अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी। साथ ही पानी का उपयोग निर्माण या कृषि कार्यों के लिए प्रतिबंधित रहेगा तथा संकट की स्थिति में सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था में सहयोग करना होगा।

पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों के खिलाफ की कार्रवाई

बड़वाह, निप्र। पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति शाइन मोटर सायकल से टेंचिंग ग्राउण्ड बड़वाह के रास्ते से कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब लेकर आने वाले है। प्राप्त मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बड़वाह निरीक्षक बलरामसिंह राठौर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया एवं पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना से अवगत करवा कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया ।

पुलिस टीम के द्वारा टेंचिंग ग्राउण्ड बड़वाह के रोड़ पर नाकाबंदी कर आने जाने वाहनों पर नजर रखी गई व मुखबिर के बताए अनुसार हुलिये के व्यक्ति के आने का इंतजार किया गया । थोड़ी देर बाद पुलिस टीम को गई मुखबिर के बताए अनुसार एक शाइन मोटर साइकल पर 02 बोरीयां लिए दो व्यक्ति आते दिखाई दिए जिन्हे पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया जिसमे एक व्यक्ति मोटर साइकल से कूद कर भाग गया एवं दूसरे को टीम ने वहीं रोक लिया । पुलिस टीम के द्वारा रोके गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुलगांव निवासी पोपसिंग होना बताया । पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम पोपसिंग पिता छितूसिंह खोटे उम्र 42 साल निवासी सुलगाँव और अनिल पिता पूरण सिंह कनासे उम्र 26 साल निवासी हाई स्कूल के पास सुलगांव बताया जा रहा है।

बिजली कर्मचारियों के आश्रितों ने की बिना शर्त नौकरी देने मांग

खरगोन, निप्र। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों को लेकर तकनीकी कर्मचारी संघ ने विरोध के स्वर मुखर किए है। प्रांतीय महासचिव हरेंद्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में संघ ने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात कर लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में मांग की है कि पिछले 25 वर्षों से भटक रहे सभी आश्रितों को बिना किसी शर्त के अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। संघ के एसके मौर्य, केएल लोखंडे, एसके शाक्य, शशि उपाध्याय, दशरथ शर्मा, टी डेविड, मोहन दुबे, राजकुमार सैनी आदि का कहना है कि वर्ष 2000 से जारी रोक और वर्ष 2014 की विसंगतिपूर्ण नीति के कारण बीमारी या प्राकृतिक मृत्यु का शिकार हुए कर्मचारियों के परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहे हैं। विद्युत मंडल के दौर में खराब माली हालत का हवाला देकर 1 सितंबर 2000 से अनुकंपा नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। बिजली कंपनियों के गठन के बाद भी यह प्रतिबंध लगातार जारी रहा। इसके बाद वर्ष 2014 में विभाग ने एक नई अनुकंपा नीति लागू की। इस नीति के तहत प्रावधान किया गया कि वर्ष 2000 से 2012 के बीच केवल दुर्घटना में जान गंवाने वाले कार्मिकों के आश्रितों को ही नौकरी दी जाएगी। इस फैसले से बीमारी या सामान्य वजहों से जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिजन दौड़ से बाहर हो गए और पिछले 25 सालों से लगातार उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं ।कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने सरकार की इस नीति की कड़े शब्दों में आलोचना की है।

पॉश कॉलोनी की झाडि़यों में मिला अविकसित भ्रूण, जांच में जुटी पुलिस

खरगोन, निप्र। शहर के सनावद रोड़ स्थित न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने एलआईसी कार्यालय के समीप बाउंड्रीवाल के किनारे झाड़ियों से एक अविकसित भ्रुण बरामद किया है। रहवासियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरु की है।

मौके पर मौजूद लोकेश जाधव ने बताया कि झाड़ियों में कुत्ते मंडरा रहे थे, शंक होने पर देखा तो नवजात नजर आया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह साफ हो रहा है कि अविकसित भ्रुण है, और जगह से लेकर आकर झाडियों में फेंका गया है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि नवजात की मौत कैसे हुई और आखिरकार मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात के पीछे कौन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्भपात के बाद बच्चे को फेंक दिया गया, उसके गले में नाल भी लिपटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को एक बाक्स में रखने के बाद जिला अस्पताल पीएम के लिए भेजा है। रिहायशी इलाका होने से सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। यह घटना इलाके में चिंता और गुस्सा दोनों ही पैदा कर रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों कोई मासूम के साथ ऐसा क्रूरता की गई। खुले में फेंकने के बजाय उसे सुरक्षित स्थाना पर दफनाना था।

श्रीराम कथा का पहला न्योता गणपति परिवार को

इंदौर. आद्य गौड़ ब्राह्मण सेवा न्यास के मातृशक्ति प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आगामी 1 जून से विमानतल मार्ग स्थित श्री श्रीविद्याधाम पर आचार्य पं. राहुल कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से होने वाली श्रीराम कथा का पहला न्योता गुरुवार को विद्याधाम मंदिर स्थित गणपति परिवार, माँ पराम्बा एवं हनुमानजी को समर्पित किया गया. मातृशक्ति प्रकोष्ठ की मेजबानी में विद्याधाम परिसर में श्रीराम कथा का आयोजन 7 जून तक चलेगा. इस दौरान 3 जून को पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी का व्रत करने वाली 61 माताओं के व्रत का सामूहिक उद्यापन भी होगा. इस सम्पूर्ण अनुष्ठान की मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पा-अशोक शर्मा, यजमान और प्रकोष्ठ पदाधिकारी सरस्वती शर्मा, साधना शर्मा, भारती शर्मा, पिंकी शर्मा, शशि शर्मा, कीर्ति जोशी, स्वाति शर्मा, जया शर्मा, हेमा शर्मा, प्रीति शर्मा, रंजना शर्मा, पूनम शर्मा, पूर्णिमा शर्मा एवं भारती शर्मा ने गणपति पूजन में शामिल होकर सभी देवी-देवताओं से श्रीराम कथा में पधारने की प्रार्थना की. न्यास के पं. दिनेश शर्मा, राजकिशोर शर्मा, डॉ. लोकेश जोशी, महेश शर्मा, अजय व्यास, विनय शर्मा, गौरव शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, उपेन्द्र शर्मा एवं अतुल शर्मा भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि विद्याधाम मंदिर पर गणपति परिवार का अनूठा मंदिर स्थापित है ।

पत्रकार को मिल रही धमकी

गोगावां, निप्र। क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लेकर खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को अब खनिज माफियाओं द्वारा खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। ताजा मामला शुक्रवार को सामने आया, जहां पत्रकार संजय गुप्ता के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी। जानकारी अनुसार पत्रकार संजय पिता रामचंद्र गुप्ता उम्र 53 वर्ष निवासी गोगावां अपने साथी पत्रकार अजय पाल के साथ मोटरसाइकिल से खेत पर कपास की

तंबाकू निषेध सप्ताह के उपलक्ष्य में संगोष्ठी के साथ तंबाकू छोड़ने की शपथ ली

भीकनगांव, निप्र। मप्र वालंट्री हेल्थ एसोसिएशन एवं कबीर लोक कल्याण समिति भीकनगाव द्वारा दिनांक 28/5/26 को ग्राम बंझर में संगोष्ठी आयोजित कर तंबाकू से होने वाले खतरनाक बिमारी केंसर के बारे में बताया। बीड़ी सिगरेट तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू, सिगरेट में पाया जाने वाला निकोटिन हमारे फेंफड़ों, लीवर को क्षति पहुंचाते हैं जिसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। केबी मंसारे ने बताया कि सप्ताह भर भीकनगाव विकास खंड में तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर ओमप्रकाश कोठारे, अर्जुन मोहे, कालूराम ठेकेदार, सबदर, सुरेश कोठारे, शंकर जी, गिरधारी, लखनलाल, मुकेश मोहे आदि उपस्थित थे।

भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कार्यकारिणी घोषित

खरगोन, निप्र। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, अजा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी संगीता सोनी की अनुमति एवं जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे की सहमति से जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर भालसे ने शुक्रवार को कार्यकारिणी में शामिल 20 पदाधिकारियों नामों की घोषणा की है। इनमें 5 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 5 मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं।

कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष महेश चौहान, नाथूलाल रोकड़े, शिवराम कृष्णन, नैनसिंह परमार, प्रेम पंचोली को बनाया गया है। महामंत्री का दायित्व अमरसिंह चौहान और कृपाराम भार्गव को मिला। मंत्री सावन साठे, धर्मेंद्र उपाध्याय, सिमरन गौसर, नीलाबाई सांवले, कमल मकवाने होंगे। कोषाध्यक्ष नरेंद्र रोकड़े को बनाया गया। सह-कोषाध्यक्ष मोहन सांवले होंगे। कार्यालय मंत्री विजय सागोरे, सह-कार्यालय मंत्री कृष्णा कोठे, सोशल मीडिया प्रभारी दिनेश कोठिया, सह-सोशल मीडिया प्रभारी मुकेश नागराज रहेंगे। मीडिया प्रभारी संजय तसोरे और सह- मीडिया प्रभारी का दायित्व कमल कानुड़े को सौंपा गया है। मोर्चा जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह नई टीम अनुसूचित जाति वर्ग के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए समर्पित भाव से कार्य करेगी। जिलाध्यक्ष श्रीमती ब्राह्मणे ने कहा कि इस गठन से भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा को नई ऊर्जा मिलेगी और वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगा।

एक नजर में — पांच सिकलीगर गिरफ्तार, 2 .75 लाख के हथियार और निर्माण सामग्री जब्त

सिगनुर में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़

नवभारत न्यूज

खरगोन, निप्र। अवैध हथियार निर्माण सहित खरीद-फरोख्त का गढ़ बन चुके ग्राम सिगनुर में हथियार निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 देशी पिस्टल, 2 देशी कट्टे और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण जब्त किए। जब्त सामग्री की कीमत 2.75 लाख रुपये आंकी गई है।

उल्लेखनीय है कि पिछले एक हफ्ते में अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की यह तीसरी कार्रवाई है। इसके पहले 23 मई का पश्चिम बंगाल का युवक 5 अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 25 मई को पंजाब का युवक 8 पिस्टल के साथ धराया। इन हथियारों के सौदेबाजी में भी सिगनुर का नाम सामने आया था। शुक्रवार को एसपी रविंद्र वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अवैध हथियारों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सिगनुर में निगरानी रखी जा रही है। इसी दौरान रुपा नदी किनारे अवैध हथियार बनाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी। यहां कार्रवाई करते हुए 5 युवक को अवैध हथियार बनाते हुए गिरफ्तार किया है।

इन्हें किया गिरफ्तार:- कार्रवाई में विकास सिंह पिता सुरजसिंह सिकलीगर, कान्हा पिता धर्मसिंह सिकलीगर, सुरजसिंह पिता चंदा सिंह सिकलीगर, गुरूबादलसिंह पिता दगलसिंह सिकलीगर और रोशन सिंह पिता दगलसिंह को पकड़ा। मौके से 9 हस्त निर्मित देशी पिस्टल एवं 2 देशी कट्टे बरामद हुए है। इसके अलावा 2 अधबनी पिस्टल, 11 बेरल, 12 घिसने की रेती, 3 ग्राइंडर मशीन, 2 नग मैग्जीन, 4 अधबनी मैंग्जीन, 2 मैग्जीन बनाने के सांचे, 10 ग्राइंडर पत्ती, 8 पिस्टल के सांचे, 1 भट्टी ब्लोअर, 1 संडासी, 2 पेचकस, 1 नग हथोड़ी, 2 घिसने के सुजे, 1 डिब्बे में नट बोल्ट, 2 चिमटा, 5 सुराख करने की किले जब्त की गई। प्राथमिकी पूछताछ में गिरफ़्तार शुदा आरोपियों पर पूर्व से आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज होना पाए गए ह ।